



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम - 695 001  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/140750/73 / 909/910

03.10.2024

To,

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

- Sub:** 1. Sanction of dearness relief @239% w.e.f 01.01.2024 to such Civil/Family Pensioners of Uttarakhand whose pension has not been revised as per the recommendations of the Seventh Pay Commission - reg.  
2. Sanction of dearness relief @443% w.e.f. 01.01.2024 to such Civil/Family Pensioners of Uttarakhand whose pension has not been revised as per the recommendations of the Sixth/Seventh Pay Commission-reg.

- Ref:** 1. Letter No. P.A./Pension/Uttarakhand Govt Order/ D.R-71/2024-25/1107 dated 09.09.2024  
2. OM No. 228931/XXVII(10)/2024-E-74906/2024 dated 02.08.2024. Government of Uttarakhand Finance, (Pension) Section -10  
3. OM No. 228935/XXVII(10)/2024-E-74906/2024 dated 02.08.2024. Government of Uttarakhand Finance, (Pension) Section -10

Sir/Madam,

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding the subjects mentioned above. The same is being placed in the official website of this office, [www.cag.gov.in/ae/kerala/en](http://www.cag.gov.in/ae/kerala/en), under Pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

*R. S. Srinivasan*  
10/10/24

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries  
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Accountant General (A&E)  
Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh  
Dehradun - 248195 -For information.

*sdl*

Senior Accounts Officer

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

"महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-71/2024-25/1107

दिनांक: 09/09/2024

P19

P19/MDR/20/73

140750  
18/9/24

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II गोमती नगर	प्रयागराज	तखनऊ	211001
19.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27.	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरतागन	791110
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

1/11/24



# कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड

## “महालेखाकार भवन” कौलागढ़ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-71/2024-25/

दिनांक: /09/2024

### “विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय-1: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

विषय-2: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन छठवें /सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-228937/XXVII (10)  
/2024-E/74906/2024 देहरादून, दिनांक: 02.08.2024।


सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-228935/XXVIII(10)/  
2024-E/74906/2024 देहरादून, दिनांक: 02.08.2024।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएँ।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

  
09-09-2024

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन  
 वित्त (पेंशन) अनुभाग-10  
 संख्या- 7 XXVII(10)/2024-E-74906/2024  
 देहरादून दिनांक: जुलाई, 2024  
02 AUG 2024  
 कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
 Finance (Pension) Section-10  
 228931 / XXVII(10)/2024-E-74906/2024  
 Dehradun: Dated July, 2024  
02 Aug. 2024  
 Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised in accordance with the recommendations of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 189783/XXVII(10)/E-22807/2022, दिनांक- 13.02.2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2024 से 230 प्रतिशत के स्थान पर 239 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f 01-01-2024 @ 239% instead of 230% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 189783/XXVII (7)/E-22807/2022, Dated 13-02-2024 for those pensioners whose pension is not revised in accordance with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commission.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस /10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. be permitted.



5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by V. Shanmugam

Date: 30-07-2024 17:13:02

(डा० वी० शम्भुगम)  
सचिव।

(Dr. V. Shanmugam)  
Secretary.

220931

संख्या- / XXVII(10)2024-E-74906/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य विन्ये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
Signed by Amita Joshi

Date: 01-08-2024 17:51:00

(अमिता जोशी)  
अपर सचिव।

220931

No. / XXVII(10)2024-E-74906/2024, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department consent.
- 4- All Commissioners/District Magistrates, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that accounts officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

(Amita Joshi)  
Additional Secretary.



उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10  
संख्या-228935/XXVII(10)/2024-E-74906/2024  
देहरादून दिनांक: जुलाई, 2024  
02 Aug 2024  
कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
Finance (Pension) Section-10  
228935/XXVII(10)/2024-E-74906/2024  
Dehradun: Dated July 2024  
02 Aug 2024  
Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised in accordance with the recommendation of the 6<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-189779/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक-13 फरवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक-01.01.2024 से 427 प्रतिशत के स्थान पर 443 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2024 @ 443% instead of 427% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 189779/XXVII(7)/E-22807/2022, Dated 13 February, 2024 for those pensioners whose pension is not revised in accordance with the recommendation of the 6<sup>th</sup>/7<sup>th</sup> pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M be permitted.



28935/2024

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(डा० वी० शनमुगम)  
सचिव।

(Dr. V. Shanmugam)  
Secretary.

Signed by V. Shanmugam  
Date: 30-07-2024 17:15:09

220935

No. / XXVII(10)/2024-E-74966/2024, the dated.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने से सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Signed by  Amita Joshi  
Date: 01-08-2024 17:52:08  
(अमिता जोशी)  
अपर सचिव।

220935

No. / XXVII(10)/2024-E-74966/2024, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioners/District Magistrates, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that accounts officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hakdari, Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

(Amita Joshi)  
Additional Secretary.

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND,  
"MAHALEKHAKAR BHAWAN", KAULAGARH, DEHRADUN-248195  
PHONE : 0135-2970866, 0970867 FAX : 0135- 2970859, 2970865**

Letter No. P.A./Pension/Uttarakhand Govt Order/D.R.-71/2024-25/

Dated 09.09.2024

**"SPECIAL SEAL AUTHORITY"**

To

**All offices of the Principal Accountants General/Accountants General (A&E)**

**Sub-1:** Sanction of dearness relief to such Civil/Family Pensioners of State Government whose pension has not been revised as per the recommendations of the Seventh Pay Commission.

**Sub-2:** Sanction of dearness relief to such Civil/ Family Pensioners of State Government whose pension has not been revised as per the recommendations of the Sixth/Seventh Pay Commission.

**Ref:** Additional Secretary, Government of Uttarakhand, Finance (Pension) Section-10, No:- 228937/XXVII(10)/2024-E/74906/2024 Dehradun, dated 02.08.2024.

**Ref:** Additional Secretary, Government of Uttarakhand, Finance (Pension) Section-10, No:- 228935/XXVII(10)/2024-E/74906/2024 Dehradun, dated 02.08.2024.

Sir,

Copies of the above referred Government Orders issued by the Department of Finance, Government of Uttarakhand, are being sent enclosed herewith. You are requested to circulate the above orders to all your subordinate Treasury Officers/Pension Payment Officers and direct them to take necessary action as per rules and inform this office also about the action taken.

**Encl: As cited above**

**Yours faithfully,  
Sd/-  
Senior Accounts Officer/Pension**



**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) -UTTARAKHAND,  
"MAHALEKHAKAR BHAWAN", KAULAGARH, DEHRADUN-248195  
PHONE : 0135-2970866, 0970867 FAX : 0135- 2970859, 2970865**

Letter No. P.A./Pension/Uttarakhand Govt Order/D.R.-71/2024-25/1107

Dated 09.09.2024

To

Sl. No.	Name of the office	State	Capital	Pin code
6.	Office of the Principal Accountant General (A&E)	Kerala	Thiruvananthapuram	695039